उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या-46/2017/1065जे/22-5-2017-300(63)2017

लखनऊ : दिनांक 31 मई, 2017

वारण्ट

मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी में मानसिक उपचार हेतु भर्ती जिला कारागार, फतेहगढ़ के सिद्धदोष बंदी दीपू उर्फ गौतम पुत्र इन्द्रपाल को विजिटर्स बोर्ड की दिनांक 12-04-2017 को सम्पन्न हुई बैठक में मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित कर दिया गया है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-518 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(2) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे जिला कारागार, फतेहगढ़ वापस कर दिया जाये।

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-46/2017/1065जे/22-5-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-13406/सामा-1(1) मानसिक बंदी/5/2016, दिनांक 01-05-2017 के संदर्भ में।
2. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद ।
3. पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद ।
4. अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहगढ़ को शासन के वारण्ट संख्या-13/2016/2061जे/22-5-2016-300(63)2016, दिनांक 18-11-2016 के क्रम में।
5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
6. गाई फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in